

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-354/2019

कपिलदेव पुत्र श्री इन्द्राज जाति बिश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. अजय पुत्र विजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कमलजीत सिंह पुत्र गुरनन्दसिंह } जाति जटसिख निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी
3. रसपिन्द्रसिंह पुत्र गुरटेकसिंह } जिला हनुमानगढ।
4. सरलादेवी } पुत्रियों मनीराम जाति बिश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला
5. अनिला देवी } हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
7. बादूदेवी पत्नी मनीराम } जाति बिश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला
8. विजय सिंह पुत्र मनीराम } हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी को चकनं 18 जीजीआर के खाता सं 18 की कुल 3.340 है, चकनं 19 जीजीआर के प 179/282 मु 51 किलानं 9,12,17, 24/.063 है, ख. प्रतिवादीसं 1 अजय को चकनं 19 जीजीआर के खाता सं 115 की कुल 1.265 है, चकनं 25 एनजीसी के खाता सं 54 की कुल 1.518 है, चकनं 25 एनजीसी के खाता सं 102 की कुल .380 है, चकनं 26 एनजीसी के खाता सं 117 में कुल .633 है, ग.प्रतिवादी सं 2 कमलजीतसिंह, प्रतिवादीसं 3 रसपिन्द्रसिंह ब 0हि 0ब 0 चकनं 19 जीजीआर के प 179/282 मु 51 किलानं 7,8,13,14 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है व खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग कर, चकनं 18 जीजीआर के खाता सं 18 में से अजय का नाम कलमजन, चकनं 19 जीजीआर के खाता सं 23 में से अजय, अनिला, सरला का नाम कलमजन, इसी चक के खातासं 115 में कपिल देव, कमला, बादू देवी का नाम कलमजन एवं चकनं 25 एनजीसी के खाता सं 54 में से कपिल देव, बादू देवी, विजयसिंह, चकनं 25 एनजीसी के खाता सं 102 में विजयसिंह, बादू देवी, कपिलदेव का नाम कलमजन, चकनं 26 एनजीसी के खाता सं 117 में से विजयसिंह, बादू देवी, कपिलदेव का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11/10/19 को जारी

किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी